श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 24 जून, 1987

सं. ओ. वि. एफडी./गुड़गांव/78-87/24628.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. (1) प्रबन्धक निदेशक, कन्फैड, सैक्टर–22, बी चण्डीगढ़, (2) कन्फैड आफिस, निकट शर्मा रैस्टोरेन्ट, गुड़गांव, के श्रमिक श्री राजकुमार, सुपुत्र श्री आशा राम, गांव अर्या नगर (कुरड़ी), तहसील व जिला हिसार तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राजकुमार की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. एफ डी./153-84/24636.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. बाटा इण्डिया लि., एन.आई.टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम बिलास मार्फत श्री अमर सिंह शर्मा, लेबर यूनियन आफिस 1 के/14 (इन्टक), एन.आई.टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : —

क्या श्री राम बिलास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफडी./133–87/24643.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. टूल्ज इण्डिया, 18/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुख राम व 16 अन्य श्रमिकगण (सूची नीचे दी गई है) मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कालोनी पुराना फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद मे सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सुखराम व 16 अन्य (सूची नीचे दी गई है) की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत राहत के हकदार हैं?

सर्वश्री	श्रमिकों की सूची
1. सुख राम	4. हर्षनाथ शर्मा
2. सम्पत मोर्य	5. जानकी मिश्रा
3. दुखवन्ती कुमार	6. बलराम यादव

सर्वश्री	श्रमिकों की सूची
7. राम सुरेश प्रसाद	13. विजेन्द्र सिंह
8. मनबहादुर	14. कन्हैया लाल
9. चन्द्रबहादुर	15. शिव बहादुर शर्मा
10. तेज प्रसाद	16. काली चरण
11. रामचन्द्र	17. रामस्वरूप
12. सन्त	

सं. ओ. वि: एफडी./गुड़गांव/23-87/24650.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. इण्डो स्विस टाईम लि., डुण्डाहेड़ा (गुड़गांव), के श्रमिक श्रीमती कुसुम लता, पत्नी श्री ओम प्रकाश, मकान नं० 367, प्रताप नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देनें हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रीमती कुसुम लता की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफडी./गुड़गांव/73-87/24657.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. प्रबन्धक निदेशक, दी रिवाड़ी सैन्ट्रल कोप. बैंक लि., रिवाड़ी, के श्रमिक श्री दरिया सिंह सचिव, सुपुत्र श्री चिरन्जी लाल, गांव सिगरो, डा. बिचौली, जिला महेन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री दरिया सिंह सचिव की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ डी./गुड़गांव/107-87/24664.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. इलीन्जर फारमेस्ट्रीकल लि., प्लाट नं. 8, धारूहेड़ा (गुड़गांव), के श्रमिक श्री हकीम दीन मार्फत श्री मुरली कुमार महा सचिव, 5/1, शिवाजी नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री हकीम दीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि. रोहतक/142-81/24671.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. हरियाणा डेरी डिवैल्पमैन्ट कोपरेटिव फैडरेशन लि., मिल्क प्लांट, गोहाना रोड़, रोहतक, के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह, सुपुत्र श्री छत्तर सिंह मार्फत श्री एस.एन. बत्स गली डाक-खानेवाली, रोहतक, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 9641-1-श्रम-79/32573, दिनांक 6 नवम्बर,

1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री ईश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. रोहतक/142-81/24678.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. हरियाणा डेरी डिवेल्पमैन्ट को-प्रेटिव फैडरेशन लि., मिल्क प्लांट, गोहाना रोड़, रोहतक, के श्रमिक श्री रामफल, सुपुत्र श्री गोपी राम मार्फत श्री एस.एन. बत्स, गली डाक-खाने वाली, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री रामफल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 16 जुलाई, 1987

सं. ओ. वि. रोह./94-87/28446.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. रपैशल रिफेक्टरीज लि., कसार बहादुरगढ़ (रोहतक), के श्रमिक श्री लोक नाथ सिंह यादव मार्फत श्री आर.एस. यादव, प्रधान भारतीय मजदूर संघ, रेलवे रोड़, काठ मण्डी, बहादुरगढ़ (रोहतक), तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री लोक नाथ सिंह यादव की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर होकर नौकरी से लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि. यमुना/26-87/28466.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. स्टील कारपोरेशन आफ हरियाणा इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, यमुनानगर, के श्रमिक श्री जमना प्रसाद सुपुत्र श्री जानकी प्रसाद मार्फत श्री बलबीर सिंह, 126, लेबर कालोनी, यमुनानगर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं.-3(44)84-3, श्रम, दिनांक 18 अप्रैल 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जमना प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?